



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122021-232249
CG-DL-E-29122021-232249

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 736]
No. 736]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 29, 2021/पौष 8, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2021/PAUSA 8, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2021

सं. 55/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 904(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 12 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"28.	0802 91 00, 0802 92 00, 0802 99 00	सभी वस्तुएं	30%	-	-";
------	--	-------------	-----	---	-----

- (ii) क्रम संख्या 49 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “1211 30 00, 1211 40 00, 1211 50, 1211 60 00 या 1211 90” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 76 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “1516 20, 1516 30 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 77 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “1516 20, 1516 30 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 218 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3002 49 10” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 249क के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3822 90 90” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 250 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3801, 3802, 3803 00 00, 3804, 3805, 3806, 3807, 3809 (3809 10 00 को छोड़कर), 3810, 3812, 3815, 3816 00 00, 3817, 3821 00 00, 3824 (3824 60 को छोड़कर) या 3827” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 253 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3824 99 00, 8505 11 90” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 271 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3907 29 10” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 349 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “71 (7104 99 00 को छोड़कर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 402 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (क) में, अंक “8517 70 10” के स्थान पर अंक “8517 79 10” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 418 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3824 99 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 426 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंक “8548 90 00” के स्थान पर अंक “8548 00 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiv) क्रम संख्या 452 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “वाटर हीटर्स” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xv) क्रम संख्या 452क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सभी वस्तुएं” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xvi) क्रम संख्या 485क के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8501 10, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 71, 8501 72” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xvii) क्रम संख्या 502 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8525 89 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xviii) क्रम संख्या 502क के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8525 81 से 8525 89” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xix) क्रम संख्या 511 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंक “8525 80” के स्थान पर अंक “8525 81 से 8525 89” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xx) क्रम संख्या 513 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (vi) में, अंक “8525 20 80” के स्थान पर अंक “8525 81 से 8525 89” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxi) क्रम संख्या 515क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंक “8529” के स्थान पर अंक “8524” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (xxii) क्रम संख्या 515ख के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंक “8529” के स्थान पर अंक “8524” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxiii) क्रम संख्या 516 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंक “8529” के स्थान पर अंक “8524” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxiv) क्रम संख्या 518 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8549 (8549 99 00 को छोड़कर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxv) क्रम संख्या 535 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (क) में, अंक “8802” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “8802 या 8806 (टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा या विडियो कैमरा रिकार्डर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले मानव रहित एयरक्राफ्ट को छोड़कर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxvi) क्रम संख्या 535क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (क) में, अंक “8802” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “8802 या 8806 (टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा या विडियो कैमरा रिकार्डर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले मानव रहित एयरक्राफ्ट को छोड़कर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxvii) क्रम संख्या 536 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (क) में, अंक “8802” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “8802 या 8806 (टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा या विडियो कैमरा रिकार्डर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले मानव रहित एयरक्राफ्ट को छोड़कर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxviii) क्रम संख्या 538 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8807” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxix) क्रम संख्या 545 के समक्ष, कॉलम (2) और कॉलम (3) की प्रविष्टि में, प्रविष्टि “8802 (8802 60 00 को छोड़कर) या 8806” को और प्रविष्टि “टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा या विडियो कैमरा रिकार्डर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले मानव रहित एयरक्राफ्ट को छोड़कर सभी वस्तुएं” को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxx) क्रम संख्या 547 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8807 10 00, 8807 20 00, 8807 30 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxxi) क्रम संख्या 587 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “9405 00 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/286/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 46/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 30 सितंबर, 2021 जिसे सा.का.नि. 708(अ), दिनांक 30 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2021

No. 55/2021-Customs

G.S.R. 904(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3, of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue),

No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, -

- (i) for serial number 28 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

“28.	0802 91 00, 0802 92 00, 0802 99 00	All goods	30%	-	-”;
------	------------------------------------	-----------	-----	---	-----

- (ii) against serial number 49, in column (2), for the entry, the entry “1211 30 00, 1211 40 00, 1211 50, 1211 60 00 or 1211 90” shall be substituted;
- (iii) against serial number 76, in column (2), for the entry, the entry “1516 20, 1516 30 00” shall be substituted;
- (iv) against serial number 77, in column (2), for the entry, the entry “1516 20, 1516 30 00” shall be substituted;
- (v) against serial number 218, for the entry in column (2), the entry “3002 49 10” shall be substituted;
- (vi) against serial number 249A, for the entry in column (2), the entry “3822 90 90” shall be substituted;
- (vii) against serial number 250, for the entry in column (2), the entry “3801, 3802, 3803 00 00, 3804, 3805, 3806, 3807, 3809 (except 3809 10 00), 3810, 3812, 3815, 3816 00 00, 3817, 3821 00 00, 3824 (except 3824 60) or 3827” shall be substituted;
- (viii) against S. No. 253, for the entry in column (2), the entry “3824 99 00, 8505 11 90” shall be substituted;
- (ix) against serial number 271, for the entry in column (2), the entry “3907 29 10” shall be substituted;
- (x) against serial number 349, for the entry in column (2), the entry “71 (except 7104 99 00)” shall be substituted;
- (xi) against serial number 402, in the entry in column (3), in item (a), for the figure “8517 70 10”, the figure “8517 79 10” shall be substituted;
- (xii) against serial number 418, for the entry in column (2), the entry “3824 99 00” shall be substituted;
- (xiii) against serial number 426, in the entry in column (3), for the figure “8548 90 00” the figure “8548 00 00” shall be substituted;
- (xiv) against serial number 452, for the entry in column (3), the entry “Water heaters” shall be substituted;
- (xv) against serial number 452A, for the entry in column (3), the entry “All goods” shall be substituted;
- (xvi) against serial number 485A, for the entry in column (2), the entry “8501 10, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 71, 8501 72” shall be substituted;
- (xvii) against serial number 502, for the entry in column (2), the entry “8525 89 00” shall be substituted;
- (xviii) against serial number 502A, for the entry in column (2), the entry “8525 81 to 8525 89” shall be substituted;
- (xix) against serial number 511, for the entry in column (3), for the figures “8525 80”, the figures “8525 81 to 8525 89” shall be substituted;
- (xx) against serial number 513, for the entry in column (3), in the item (vi), for the figures “8525 20 80” the figures “8525 81 to 8525 89” shall be substituted;
- (xxi) against serial number 515A, in the entry of column (3), for the figures “8529,” the figures “8524” shall be substituted;
- (xxii) against serial number 515B, in the entry of column (3), for the figures “8529”, the figures “8524” shall be substituted;
- (xxiii) against serial number 516, in the entry of column (3), for the figures “8529”, the figures “8524” shall be substituted;
- (xxiv) against serial number 518, for the entry in column (2), the entry “8549 (except 8549 99 00)” shall be substituted;

- (xxv) against serial number 535, in the entry in column (3), in the item (a), for the figures “8802”, the figures, letters and words “8802 or 8806 (except Unmanned Aircraft used as Television camera, digital camera or video camera recorder)” shall be substituted;
- (xxvi) against serial number 535A, in the entry in column (3), in the item (a), for the figure “8802”, the figures, letters and words “8802 or 8806 (except Unmanned Aircraft used as Television camera, digital camera or video camera recorder)” shall be substituted;
- (xxvii) against serial number 536, in the entry in column (3), in the item (i), for the figures “8802”, the figures, letters and words “8802 or 8806 (except Unmanned Aircraft used as Television camera, digital camera or video camera recorder)” shall be substituted;
- (xxviii) against serial number 538 for the entry in column (2), the entry “8807” shall be substituted;
- (xxix) against serial number 545, for the entry in column (2) and column (3), the entry “8802 (except 8802 60 00) or 8806” and “All goods except Unmanned Aircraft used as Television camera, digital camera or video camera recorder” shall respectively be substituted;
- (xxx) against serial number 547, for the entry in column (2), the entry “8807 10 00, 8807 20 00, 8807 30 00” shall be substituted;
- (xxxi) against serial number 587, for the entry in column (2), the entry “9405 00 00” shall be substituted;

2. This notification shall come into force from the 1st day of January, 2022.

[F. No. 190354/286/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th day of June, 2017 and last amended *vide* notification No. 46/2021-Customs, dated the 30th September, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 708(E), dated the 10th day of September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2021

सं. 56/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 905(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा किया जाना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1341(अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 116 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “5703 21, 5703 29” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 117 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “5703 31, 5703 39” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 136 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “5802 10 10” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 137 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “5802 10 20, 5802 10 30, 5802 10 40, 5802 10 50, 5802 10 60, 5802 10 90” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 213 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“213क	6201 20 10	सभी वस्तुएं	20% या 385 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
213ख	6201 20 90	सभी वस्तुएं	20% या 220 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
213ग	6201 30 10	सभी वस्तुएं	20% या 385 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
213घ	6201 30 90	सभी वस्तुएं	20% या 210 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
213ङ	6201 40 10	सभी वस्तुएं	20% या 320 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
213च	6201 40 90	सभी वस्तुएं	20% या 180 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
213छ	6201 90 10	सभी वस्तुएं	20%
213ज	6201 90 90	सभी वस्तुएं	20%”;

(vi) क्रम संख्या 214 से 219 तक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का निरसन किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 220 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“220क	6202 20 10	सभी वस्तुएं	20% या 385 रु प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
220ख	6202 20 90	सभी वस्तुएं	20% या 220 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
220ग	6202 30 10	सभी वस्तुएं	20% या 210 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
220घ	6202 30 90	सभी वस्तुएं	20% या 160 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
220ङ	6202 40 10	सभी वस्तुएं	20% या 385 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
220च	6202 40 90	सभी वस्तुएं	20% या 220 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
220छ	6202 90 10	सभी वस्तुएं	20%
220ज	6202 90 90	सभी वस्तुएं	20%”.

(viii) क्रम संख्या 221 से 227 तक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का निरसन किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/286/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को सा.का.नि. 1341 (अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 73(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2021

No. 56/2021-Customs

G.S.R. 905(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 82/2017-Customs, dated the 27th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1341(E), dated the 27th October, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against serial number 116, in column (2), for the entry, the entry “5703 21, 5703 29” shall be substituted;
- (ii) against serial number 117, in column (2), for the entry, the entry “5703 31, 5703 39” shall be substituted;
- (iii) against serial number 136, in column (2), for the entry, the entry “5802 10 10” shall be substituted;
- (iv) against serial number 137, in column (2), for the entry, the entry “5802 10 20, 5802 10 30, 5802 10 40, 5802 10 50, 5802 10 60, 5802 10 90” shall be substituted;
- (v) for serial number 213 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

“213A	6201 20 10	All goods	20% or Rs 385 per piece, whichever is higher
213B	6201 20 90	All goods	20% or Rs 220 per piece, whichever is higher
213C	6201 30 10	All goods	20% or Rs 385 per piece, whichever is higher
213D	6201 30 90	All goods	20% or Rs 210 per piece, whichever is higher
213E	6201 40 10	All goods	20% or Rs 320 per piece, whichever is higher
213F	6201 40 90	All goods	20% or Rs 180 per piece, whichever is higher
213G	6201 90 10	All goods	20%
213H	6201 90 90	All goods	20%”;

- (vi) serial numbers 214 to 219 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vii) for serial number 220 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

“220A	6202 20 10	All goods	20% or Rs 385 per piece, whichever is higher
220B	6202 20 90	All goods	20% or Rs 220 per piece, whichever is higher
220C	6202 30 10	All goods	20% or Rs 210 per piece, whichever is higher
220D	6202 30 90	All goods	20% or Rs 160 per piece, whichever is higher
220E	6202 40 10	All goods	20% or Rs 385 per piece, whichever is higher
220F	6202 40 90	All goods	20% or Rs 220 per piece, whichever is higher
220G	6202 90 10	All goods	20%
220H	6202 90 90	All goods	20%”;

(viii) serial numbers 221 to 227 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force from the 1st day of January, 2022.

[F. No. 190354/286/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 82/2017-Customs, dated the 27th October, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1341(E), dated the 27th October, 2017, and was last amended vide notification No. 15/2021 – Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 73(E), dated the 1st February, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2021

सं. 57/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 906(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना में उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना संख्या 25/1998-सीमाशुल्क, दिनांक 2 जून, 1998, जिसे सा.का.नि. 290(अ), दिनांक 2 जून, 1998 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 45 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8514 19 00 या 8486” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 47 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8517 90 00 या 8486” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रम संख्या 48 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8514 31 00 या 8514 32 00 या 8514 39 00 या 8486” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iv) क्रम संख्या 49 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंक “8514 10 से 8514 30”, के स्थान पर अंक “8514 11 से 8514 39” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2.	अधिसूचना संख्या 25/1999-सीमाशुल्क, दिनांक 28 फरवरी, 1999, जिसे सा.का.नि. 161(अ), दिनांक 28 फरवरी, 1999 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 226 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि में, अंक “7419 99 90”, के स्थान पर अंक “7419 80 90” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 233 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि में, अंक “6815 10”, के स्थान पर अंक “6815 19 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3.	अधिसूचना संख्या 25/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002, जिसे सा.का.नि. 122(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 को प्रकाशित किया	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 69 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि में, मद (xviii) में, अंक “8514 30 90”, के स्थान पर अंक “8514 39 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

	गया था।	(ii) क्रम संख्या 72 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि में, मद (v) में, अंक "8514 30 90", के स्थान पर अंक "8514 39 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रम संख्या 76 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि में, मद (xvii) में, अंक "8525 80 90", के स्थान पर अंक "8525 89 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।						
4.	अधिसूचना संख्या 24/2005-सीमाशुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2005, जिसे सा.का.नि. 122(अ), दिनांक 01 मार्च, 2005 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8517 79 10" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (2) और कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः प्रविष्टि "8519 81 00" को और प्रविष्टि "टेलीफोन अन्सरिंग मशीन्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रम संख्या 27 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8543 90 या 8548 00 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iv) क्रम संख्या 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:- <table border="1"> <tr> <td>"29</td><td>8524 या 90138000</td><td>लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस";</td></tr> </table> (v) क्रम संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:- <table border="1"> <tr> <td>"30</td><td>8529 या 90139000</td><td>लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस के पाटर्स";</td></tr> </table> (vi) क्रम संख्या 35 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9027 81 या 9027 89" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vii) क्रम संख्या 39 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में कोष्ठक, शब्द और अंक "(उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 1996" शब्दों के स्थान पर कोष्ठक, शब्द और अंक "(शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 2017" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।	"29	8524 या 90138000	लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस";	"30	8529 या 90139000	लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस के पाटर्स";
"29	8524 या 90138000	लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस";						
"30	8529 या 90139000	लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस के पाटर्स";						
5.	अधिसूचना संख्या 25/2005-सीमाशुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2005, जिसे सा.का.नि. 123(अ), दिनांक 01 मार्च, 2005 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8525 89 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8524" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।						
6.	अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 798(अ), दिनांक 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8517 14 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8517 71 00 या 8517 79 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;						

		(iii) क्रम संख्या 5क के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8517 79 90, 8525 89 00, 8529 90 90” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iv) क्रम संख्या 5ख के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8517 79 90” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (v) क्रम संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का निरसन किया जाएगा; (vi) क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8517 79 10” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।			
7.	अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमाशुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, जिसे सा.का.नि. 476(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2019 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “84, 85, 8802 30 00, 8806 या 90 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “84, 85, 8802 40 00, 8806 या 90 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:- <table border="1" data-bbox="715 869 1390 1032"> <tr> <td>“14</td><td>8807</td><td>शीर्ष 8801 या 8802 या 8806 के माल के पुजे”।</td></tr> </table>	“14	8807	शीर्ष 8801 या 8802 या 8806 के माल के पुजे”।
“14	8807	शीर्ष 8801 या 8802 या 8806 के माल के पुजे”।			

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/286/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट:

1. प्रधान अधिसूचना संख्या **25/1998**-सीमा शुल्क, दिनांक 2 जून, 1998 को सा.का.नि. 290(अ), दिनांक 2 जून, 1998 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, जिसे सा.का.नि. 478 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
2. प्रधान अधिसूचना संख्या **25/1999**-सीमा शुल्क, दिनांक 28 फरवरी, 1999, को सा.का.नि. 161(अ), दिनांक 28 फरवरी, 1999 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 62 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
3. प्रधान अधिसूचना संख्या **25/2002**-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002, को सा.का.नि. 122(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, जिसे सा.का.नि. 479 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
4. प्रधान अधिसूचना संख्या **24/2005**-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2005, को सा.का.नि. 122(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 63 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

5. प्रधान अधिसूचना संख्या **25/2005**-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2005, को सा.का.नि. 123(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या **07/2020**-सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2020, जिसे सा.का.नि. 67 (अ), दिनांक 2 फरवरी, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
6. प्रधान अधिसूचना संख्या **57/2017**-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 798(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या **3/2021**-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 61 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
7. प्रधान अधिसूचना संख्या **19/2019**-सीमा शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, को सा.का.नि. 476(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या **3/2020**-सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2020, जिसे सा.का.नि. 63 (अ), दिनांक 2 फरवरी, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2021

No. 57/2021-Customs

G.S.R. 906(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

TABLE

Sl. No.	Notification number and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 25/1998 -Customs, dated the 2 nd June, 1998, published in the Official Gazette <i>vide</i> G.S.R. 290(E), dated the 2 nd June, 1998.	In the said notification, in the Table, - (i) against serial number 45, for the entry in column (2), the entry “8514 19 00 or 8486” shall be substituted; (ii) against serial number 47, for the entry in column (2), the entry “8514 90 00 or 8486” shall be substituted; (iii) against serial number 48, for the entry in column (2), the entry “8514 31 00 or 8514 32 00 or 8514 39 00 or 8486” shall be substituted; (iv) against serial number 49, in the entry in column (3), for the figures “8514 10 to 8514 30”, the figures “8514 11 to 8514 39” shall be substituted.
2.	Notification No. 25/1999 -Customs, dated the 28 th February, 1999, published in the Official Gazette <i>vide</i> G.S.R. 161(E), dated the 28 th February, 1999.	In the said notification, in the Table, - (i) against serial number 226, in the entry in column (2), for the figure “7419 99 90”, the figure “7419 80 90” shall be substituted; (ii) against serial number 233, in the entry in column (2), for the figure “6815 10”, the figure “6815 19 00” shall be substituted.

3.	Notification No. 25/2002 -Customs, dated the 1 st March, 2002, published in the Official Gazette <i>vide</i> G.S.R. 122(E), dated the 1 st March, 2002.	In the said notification, in the Table, - (i) against serial number 69, in the entry in column (2), in the item (xviii), for the figure “8514 30 90”, the figure “8514 39 00” shall be substituted; (ii) against serial number 72, in the entry in column (2), in the item (v), for the figure “8514 30 90”, the figure “8514 39 00” shall be substituted; (iii) against serial number 76, in the entry in column (2), in the item (xvii), for the figure “8525 80 90”, the figure “8525 89 00” shall be substituted.						
4	Notification No. 24/2005 -Customs, dated the 1 st March, 2005, published in the Official Gazette <i>vide</i> G.S.R. 122(E), dated the 1 st March, 2005.	In the said notification, in the Table, - (i) against serial number 13S, for the entry in column (2), the entry “8517 79 10” shall be substituted; (ii) against serial number 14, for the respective entry in column (2) and column (3), the entries “8519 81 00” and “Telephone Answering Machines” shall respectively be substituted; (iii) against serial number 27, for the entry in column (2), the entry “8543 90 or 8548 00 00” shall be substituted; (iv) For serial number 29 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: - <table border="1" data-bbox="762 981 1439 1048"> <tr> <td>“29</td><td>8524 or 90138000</td><td>Liquid crystal devices”;</td></tr> </table> (v) For serial number 30 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: - <table border="1" data-bbox="762 1171 1439 1265"> <tr> <td>“30</td><td>8529 or 90139000</td><td>Parts of liquid crystal devices”;</td></tr> </table> (vi) against serial number. 35, for the entry in column (2), the entry “9027 81 or 9027 89” shall be substituted; (vii) against serial number 39, in column (3), for the brackets, words and figures “(Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 1996.” the brackets, words and figures “(Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017” shall be substituted.	“29	8524 or 90138000	Liquid crystal devices”;	“30	8529 or 90139000	Parts of liquid crystal devices”;
“29	8524 or 90138000	Liquid crystal devices”;						
“30	8529 or 90139000	Parts of liquid crystal devices”;						
5.	Notification No. 25/2005 - Customs, dated the 1 st March, 2005, published in the Official Gazette <i>vide</i> G.S.R. 123(E), dated the 1 st March, 2005.	In the said notification, in the Table, - (i) against serial number 13, for the entry in column (2), the entry “8525 89 00” shall be substituted; (ii) against serial number 17, for the entry in column (2), the entry “8524” shall be substituted.						
6.	Notification No. 57/2017 -Customs, dated the 30 th June, 2017, published in the Official Gazette <i>vide</i> G.S.R. 798(E), dated the 30 th June, 2017.	In the said notification, in the Table, - (i) against serial number 4, for the entry in column (2), the entry “8517 14 00” shall be substituted; (ii) against serial number 5, for the entry in column (2), the entry “8517 71 00 or 8517 79 90” shall be substituted; (iii) against serial number 5A, for the entry in column (2), the entry “8517 79 90, 8525 89 00, 8529 90 90” shall be substituted; (iv) against serial number 5B, for the entry in column (2), the entry “8517 79 90” shall be substituted;						

		(v) serial number 21 and the entries thereto shall be omitted; (vi) against serial number 22, for the entry in column (2), the entry “8517 79 10” shall be substituted.			
7.	Notification No. 19/2019-Customs, dated the 6 th July, 2019, published in the Official Gazette vide G.S.R. 476(E), dated the 6 th July, 2019.	In the said notification, in the Table, - (i) against the serial number 12, for the entry in column (2), the entry “84, 85, 8802 30 00, 8806 or 90” shall be substituted; (ii) against the serial number 13, for the entry in column (2), the entry “84, 85, 8802 40 00, 8806 or 90” shall be substituted; (iii) For serial number 14 and the corresponding entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: - <table border="1"> <tr> <td>“14</td><td>8807</td><td>Parts of goods of heading 8801 or 8802 or 8806”.</td></tr> </table>	“14	8807	Parts of goods of heading 8801 or 8802 or 8806”.
“14	8807	Parts of goods of heading 8801 or 8802 or 8806”.			

2. This notification shall come into effect on the 1st day of January, 2022.

[F. No. 190354/286/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note:

1. The principal notification No. **25/1998**-Customs, dated the 2nd June, 1998 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.. 290(E), dated the 2nd June, 1998 and last amended, by notification No. 21/2019- Customs, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.. 478(E), dated the 6th July, 2019.
2. The principal notification No. **25/1999**-Customs, dated the 28th February, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), vide number G.S.R..161(E), dated the 28th February, 1999 and was last amended by notification No. 04/2021- Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.. 62(E), dated the 1st February, 2021.
3. The principal notification No. **25/2002**-Customs, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), vide number G.S.R.. 122(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 22/2019- Customs, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.. 479(E), dated the 6th July, 2019.
4. The principal notification No. **24/2005**-Customs, dated the 1st March, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), vide number G.S.R..122(E), dated the 1st March, 2005 and last amended vide notification No. 05/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.. 63(E), dated the 1st February, 2021.
5. The principal notification No. **25/2005**-Customs, dated the 1st March, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), vide number G.S.R..123(E), dated the 1st March, 2005 and was last amended by notification No. 07/2020- Customs, dated the 2nd February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.. 67(E), dated the 2nd February, 2020.
6. The principal notification No. **57/2017**-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 798(E), dated the 30th June, 2017 and last amended, vide notification No. 03/2021 -Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.. 61(E), dated the 1st February, 2021.
7. The principal notification No. **19/2019**-Customs, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.. 476(E), dated the 6th July, 2019 and last amended, vide notification No. **3/2020** -Customs, dated the 2nd February, 2020, published vide number G.S.R.. 63 (E), dated the 2nd February, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2021

सं. 58/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 907(अ).—केंद्र सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 114 (अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) में -

- (i) अंक "5703 20" के स्थान पर अंक "5703 21, 5703 29" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) अंक "5703 30" के स्थान पर अंक "5703 31, 5703 39" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) अंक "5802 19" के स्थान पर अंक "5802 10 20, 5802 10 30, 5802 10 40, 5802 10 50, 5802 10 60, 5802 10 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) अंक "6201 11 00, 6201 12, 6201 13, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00" के स्थान पर अंक "6201 20, 6201 30, 6201 40" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) अंक "6202 11, 6202 12 00, 6202 13 00, 6202 91, 6202 92, 6202 93" के स्थान पर अंक "6202 20, 6202 30, 6202 40" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/286/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018 को सा.का.नि. 114 (अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.नि. 72(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2021

No. 58/2021-Customs

G.S.R 907(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 114(E), dated the 2nd February, 2018, namely :-

In the said notification, in the TABLE, against the serial number 1, in column (2), -

- (i) for the figures "5703 20", the figures "5703 21, 5703 29" shall be substituted;
- (ii) for the figures "5703 30", the figures "5703 31, 5703 39" shall be substituted;
- (iii) for the figures "5802 19", the figures "5802 10 20, 5802 10 30, 5802 10 40, 5802 10 50, 5802 10 60, 5802 10 90" shall be substituted;

- (iv) for the figures “6201 11 00, 6201 12, 6201 13, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00”, the figures “6201 20, 6201 30, 6201 40” shall be substituted;
- (v) for the figures “6202 11, 6202 12 00, 6202 13 00, 6202 91, 6202 92, 6202 93”, the figures “6202 20, 6202 30, 6202 40” shall be substituted.

3. This notification shall come into effect on the 1st day of January, 2022.

[F. No. 190354/286/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No.11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 114(E), dated the 2nd February, 2018 and was last amended, vide notification No. 14/2021 -Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R.72 (E), dated the 1st February, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2021

सं. 59/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 908(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 53/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 788 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2709 00 10” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/286/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 53/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 788 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 40/2019-सीमाशुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 968(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2021

No. 59/2021-Customs

G.S.R. 908(E).—In exercise of the powers conferred sub-section (5) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 53/2017- Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 788(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table,

(i) against serial number 1, for the entry in column (2), the entry “2709 00 10”, shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the 1st day of January, 2022.

[F. No. 190354/286/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 53/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 788(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 40/2019-Customs, dated the 30th December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 968(E), dated the 30th December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2021

सं. 78/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 909(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1975 के नियम 13, 18 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1), (2) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचनाओं को उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 30/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 11 जुलाई, 2016 जिसे सा.का.नि. 675 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 2016 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में “2903 39 19” अंकों के स्थान पर, जहां कहीं भी यह आता है, अंक “ 2903 45 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2.	अधिसूचना सं. 13/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 11 अप्रैल, 2017 जिसे सा.का.नि. 344 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में “3907 20” अंकों के स्थान पर, जहां कहीं भी यह आता है, अंक “ 3907 29” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3.	अधिसूचना सं. 57/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 जिसे सा.का.नि. 1203(अ), दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में “3824 90 90” अंकों का, जहां कहीं भी यह आता है, लोप किया जाएगा।
4.	अधिसूचना सं. 14/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 09 जून, 2020 जिसे सा.का.नि. 364(अ), दिनांक 09 जून, 2020 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में “3907 20” अंकों के स्थान पर, जहां कहीं भी यह आता है, अंक “ 3907 29” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5.	अधिसूचना सं. 14/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 18 मार्च, 2021 जिसे सा.का.नि. 199(अ), दिनांक 18 मार्च, 2021 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में (i) शब्द “टैरिफ मद” के स्थान पर, जहां कहीं भी यह आता है “हेडिंग” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) “7019 90 10, 7019 90 90, 7019 19 00, 7019 39 00, 7019 59 00” अंकों के स्थान पर,

		जहां कहीं भी यह आता है, अंक " 7019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
6.	अधिसूचना सं. 20/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 05 अप्रैल, 2021 जिसे सा.का.नि. 251(अ), दिनांक 05 अप्रैल, 2021 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में "3907 20" या "3907.20" अंकों के स्थान पर, जहां कहीं भी यह आता है, अंक " 3907 29" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
7.	अधिसूचना सं. 76/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 जिसे सा.का.नि. 876(अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में (i) शब्द "टैरिफ मद" के स्थान पर, जहां कहीं भी यह आता है "हेडिंग" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) "3824 78 00" अंकों के स्थान पर, जहां कहीं भी यह आता है, अंक " 3827" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/286/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट :

1. प्रधान अधिसूचना संख्या 30/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 11 जुलाई, 2016 को सा.का.नि. 675 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 30/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 24 मई, 2021, जिसे सा.का.नि. 339(अ), दिनांक 24 मई, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
2. प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को सा.नि.का. 344(अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।
3. प्रधान अधिसूचना संख्या 57/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को सा.नि.का. 1203(अ), दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 47/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 30 दिसम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 969(अ), दिनांक दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
4. प्रधान अधिसूचना संख्या 14/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 09 जून, 2020 को सा.नि.का. 364(अ), दिनांक 09 जून, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।
5. प्रधान अधिसूचना संख्या 14/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 18 मार्च, 2021 को सा.नि.का. 199(अ), दिनांक 18 मार्च, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।
6. प्रधान अधिसूचना संख्या 20/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 05 अप्रैल, 2021 को सा.नि.का. 251(अ), दिनांक 05 अप्रैल, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।
7. प्रधान अधिसूचना संख्या 76/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) 22 दिसम्बर, 2021 को सा.नि.का. 876(अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2021

No. 78/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 909(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 13, 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

TABLE

Sl.No.	Notification number and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 30/2016 -Customs (ADD) dated the 11 th July, 2016 published in Official Gazette vide G.S.R. 675(E), dated the 11 th July, 2016.	in the said notification, for the figures “2903 39 19”, wherever it occurs, the figures” 2903 45 00” shall be substituted .
2.	Notification No. 13/2017 -Customs(ADD) dated the 11 th April, 2017 published in Official Gazette vide G.S.R. 344(E), dated the 11 th April, 2017.	in the said notification, for the figures “3907 20”, wherever it occurs, the figures” 3907 29” shall be substituted .
3.	Notification No. 57/2018 -Customs (ADD) dated the 13 th December, 2018 published in Official Gazette vide G.S.R. 1203 (E), dated the 13 th December, 2018.	in the said notification, for the figures “ 3824 90 90” wherever it occurs, shall be omitted.
4.	Notification No. 14/2020 -Customs (ADD) dated the 9 th June, 2020 published in Official Gazette vide G.S.R. 364 (E), dated the 9 th June, 2020.	in the said notification, for the figures “3907 20”, wherever it occurs, the figures” 3907 29” shall be substituted.
5.	Notification No. 14/2021 -Customs (ADD) dated the 18 th March, 2021 published in Official Gazette vide G.S.R. 199 (E), dated the 18 th March, 2021.	in the said notification, (i) for the words “tariff items” or “tariff item”, wherever it occurs, the word “heading” shall be substituted; (ii) for the figures “7019 90 10, 7019 90 90, 7019 19 00, 7019 39 00, 7019 59 00”, wherever it occurs, the figures” 7019” shall be substituted.
6.	Notification No. 20/2021 -Customs (ADD) dated the 5 th April, 2021 published in Official Gazette vide G.S.R. 251 (E), dated the 5 th April, 2021.	in the said notification, for the figures “3907 20” or “3907.20”, wherever it occurs, the figures” 3907 29” shall be substituted;
7.	Notification No. 76/2021 -Customs (ADD) dated the 22 nd December, 2021 published in Official Gazette vide G.S.R. 876(E) dated 22 nd December, 2021.	in the said notification,- (i) for the words “tariff item”, wherever it occurs, the word “heading” shall be substituted; (ii) for the figure “3824 78 00”, wherever it occurs, the figure” 3827” shall be substituted.

2. This notification shall come into effect from the 1st of January, 2022.

[F. No. 190354/286/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note:

1. The principal notification No. **30/2016**-Customs (ADD), dated the 11th July, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 675(E), dated the 11th July, 2016 and was last amended by notification No. 30/2021-Customs (ADD), dated the 24th May, 2021, that was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 339(E), dated the 24th May, 2021.
2. The principal notification No. **13/2017**-Customs(ADD) dated the 11th April, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 344(E), dated the 11th April, 2017.
3. The principal notification No. **57/2018**-Customs (ADD) dated the 13th December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1203 (E), dated the 13th December, 2018 and was last amended by notification No. 47/2019-Customs (ADD), dated the 30th December, 2019, that was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 969(E), dated the 30th December, 2019.
4. The principal notification No. **14/2020**-Customs (ADD) dated the 9th June, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 364 (E), dated the 9th June, 2020.
5. The principal notification No. **14/2021**-Customs (ADD) dated the 18th March, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 199 (E), dated the 18th March, 2021.
6. The principal notification No. **20/2021**-Customs (ADD) dated the 5th April, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 251 (E), dated the 5th April, 2021.
7. The principal notification No. **76/2021**-Customs (ADD) dated the 22nd December, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 876(E) dated 22nd December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2021

सं. 10/2021-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 910(अ).—केन्द्र सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 03/2019- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, दिनांक 6 जुलाई 2019, जिसे सा.का.नि. 486 (अ), 6 जुलाई 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और संगत प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:

“27.	2404 11 00	सभी माल	0.5%
28.	2404 19 00	सभी माल	0.5%”;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/286/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2021

No. 10/2021-Central Excise

G.S.R. 910(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 03/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 486(E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 26 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“27.	2404 11 00	All goods	0.5%
28.	2404 19 00	All goods	0.5%”;

2. This notification shall come into force from the 1st day of January, 2022.

[F. No. 190354/286/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.